

23.04.2025:-पत्रवाली आज पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा रहे हैं। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



Handwritten signature
सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़